

Entered 100 11.6.18  
23/11/18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दायमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी।  
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनायी।  
3. स्थित पत्रावली।

क्रमांक :- 2639  
दिनांक :- 14.6.18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

क्र.सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पार्लेडा	16	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) 250 B शेखावाटी 2510A	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) 2510A वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) 2510A

प्रार्थी के खता टुकरी प्रार्थना पर एवं पटवारी ..... व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसूचण में ग्राम ..... तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी संख्या 2510A-77 में खता संख्या 16 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दायमद के आदेश दिये जाते हैं:-

:- आदेश :-

पिठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम कोर्ट) कैम .....  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

दस्तावेज के ...  
23/11/18